

## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY



## **CIRCULAR**

Circular No.: PFRDA/2025/07/PDES/01

September 12, 2025

To,

All Stakeholders under NPS

Sir/Madam,

Subject: Corporate Model NPS: Revision in the provisions for exercising PF and investment choices & Bulk Authorization of employees' NPS application by corporates

This is in supersession of Circular No. PFRDA/2018/53/P&D/2 dated 14th November 2018.

- 2. Under the Corporate Model of NPS, the following modifications in respect of exercise of choice and authorisation of employees' NPS application by corporate/employer are being implemented:
  - (a). Exercise of choice of Pension Fund and of Asset Allocation by Employer/Corporate and Employee/Subscriber:
    - (i). Either the Employer/Corporate **OR** Employee/Subscriber will have choice of selecting the Pension Fund and Asset Allocation. However, whoever exercises the choice should select both the Pension Fund & Asset Allocation.
    - (ii). If the Employer/Corporate exercises choice of Pension Fund and Asset Allocation on behalf of Employee/Subscriber, then such Employee/Subscriber will have the option to revise the choices after 1 (one) year (i.e 365 days).
  - (b). Bulk authorisation of NPS applications of underlying employees by the employer (corporate) through physical and online mode:
    - (i). Corporate/Employer will have the option to authorise the NPS applications of its employees individually (in the application form itself) or separately on the corporate letterhead for bulk authorisation for which CRA has to be intimated in advance for enabling this option in the CRA system.
    - (ii). Corporate/Employer willing to authorise online the employment details of employee/applicant joining NPS should submit an application on its letterhead to CRA and CRA will create a user id and login for such corporate for enabling online authorisation of employees' NPS applications.
- 3. The Circular is applicable to all Corporate entities with immediate effect.

Yours sincerely,

(Sumit Kumar) Chief General Manager



## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY परिपत्र



परिपत्र संख्याः पीएफआरडीए/2025/07/पीडीईएस/01

सितंबर 12, 2025

प्रति,

एनपीएस के अंतर्गत सभी हितधारक

महोदय/ महोदया,

विषय: कॉर्पोरेट मॉडल एनपीएस : पेंशन फंड और निवेश विकल्पों का चयन करने के और कॉरपोरेट्स द्वारा कर्मचारियों के एनपीएस आवेदन को समेकित रूप से अधिकृत करने के प्रावधानों में संशोधन

यह परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2018/53/पीएंडडी/2 दिनांक 14 नवंबर 2018 के क्रम में है।

- 2. एनपीएस के कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत, कॉर्पोरेट/नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के एनपीएस आवेदन में चयन और अधिकृत करने के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों को लागू किया जाता है :
  - (a). पेंशन फंड और नियोक्ता/कॉर्पोरेट और कर्मचारी/अभिदाता द्वारा आस्ति आवंटन के विकल्प का चयन:
  - (i). नियोक्ता/कॉर्पोरेट **या** कर्मचारी/अभिदाता के पास पेंशन फंड और आस्ति आवंटन को चुनने का विकल्प होगा। हालांकि, विकल्प चुनने पर पेंशन फंड और आस्ति आवंटन का भी चयन करना होगा।
  - (ii). यदि नियोक्ता/कॉर्पोरेट, कर्मचारी/अभिदाता की ओर से पेंशन फंड और आस्ति आवंटन के विकल्प का चयन करता है, तो ऐसे कर्मचारी/अभिदाता के पास 1 (एक) वर्ष (यानी 365 दिन) के बाद उन्हें संशोधित करने का विकल्प होगा।
  - (b). भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से नियोक्ता (कॉर्पोरेट) द्वारा अंतर्निहित कर्मचारियों के एनपीएस आवेदनों का समेकित रूप से अधिकृत करना:
  - (i). कॉर्पोरेट/नियोक्ता के पास अपने कर्मचारियों के एनपीएस आवेदनों को व्यक्तिगत रूप से (आवेदन पत्र में ही) या अलग से कॉर्पोरेट लेटरहेड पर समेकित रूप से अधिकृत करने के लिए एक विकल्प होगा, जिसके लिए सीआरए प्रणाली में इस विकल्प को सक्षम करने के लिए सीआरए को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।
  - (ii). कर्मचारी /एनपीएस में शामिल होने वाले आवेदक के रोजगार विवरण को ऑनलाइन अधिकृत करने के इच्छुक कॉर्पोरेट/नियोक्ता द्वारा उसके लेटरहेड पर सीआरए में एक आवेदन जमा करना होगा और सीआरए द्वारा ऐसे कॉर्पोरेट के कर्मचारियों के एनपीएस आवेदनों के ऑनलाइन अधिकरण को सक्षम करने के लिए एक उपयोगकर्ता आईडी और लॉगिन बनाया जाएगा।
- 3. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से सभी कॉपेरिट संस्थाओं पर लागू होगा।

भवदीय,

( सुामत कुमार) मुख्य महाप्रबंधक